

# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 84वीं बैठक दिनांक 17 सितंबर 2012 को अपरान्ह बाद 11.30 विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षे0के0 पर आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. प्रो0 नरेश दाधीच  
कुलपति  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा। अध्यक्ष
2. श्री राजीव स्वरूप  
प्रमुख शासन सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग  
राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर। सदस्य
3. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल  
डिपार्टमेंट आफ इंगलिश  
दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली। सदस्य
4. प्रो0 सी0बी0 शर्मा  
आचार्य (एज्युकेशन)  
इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0,  
नई दिल्ली सदस्य
5. प्रो0 बी0 के0 शर्मा  
आचार्य  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सदस्य
6. डा0 आर0 सी0 मीणा  
निदेशक (क्षे0 के0)  
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर। सदस्य
7. श्री जेड0 बी0 मिर्जा  
कुलसचिव, वमखुविदि,कोटा। सचिव

आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में कार्यसूची में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

84/01 प्रबंध मंडल की 83वीं बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 83वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

84/02 प्रबंध मंडल की 83वीं बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2012 के निर्णयों के क्रम में अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई पालना पर संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदित किया गया।

84/03 विद्या परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 09.08.12 के कार्यवाही विवरण का माननीय कुलपति महोदय द्वारा वि०वि० अधिनियम की धारा 8.4 के तहत किया गया अनुमोदन सूचनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद की 43वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही को सदन द्वारा नोट किया गया।

84/04 सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद का राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से सृजन किए जाने की स्वीकृति के क्रम में पद सृजन एवं उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण तथा नियुक्ति की कार्यवाही की सूचना।

सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद के सृजन, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण एवं नियुक्ति कार्यवाही के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को सदन द्वारा नोट किया गया।

84/05 राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रम में कंप्यूटर आपरेटर का पदनाम परिवर्तित कर सहायक प्रोग्रामर किए जाने के आदेश क्रमांक 4344 दिनांक सूचनार्थ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश को नोट किया गया।

84/06 राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों को A.C.P का लाभ दिए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 3257 दिनांक 07.06.2012 सूचनार्थ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (संलग्न परिशिष्ट-01) के क्रम में जारी आदेश को नोट किया गया।

84/07 डा० नगेन्द्र कुमार शर्मा एवं डा० रमेश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों के असाधारण अवकाश की अवधि को नोटिस अवधि मानते हुए त्यागपत्र स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

जारी किए गए आदेश को नोट किया गया।

84/08 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी करने हेतु एडवोकेट्स के पैनल में श्री अनुराग राय व्यास एवं श्री अभिशेक गोटेचा का नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

जारी किए गए आदेश को नोट किया गया।

84/09 कुलपति पद पर नई नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबंध मंडल द्वारा नामित सदस्य के सम्बन्ध में निर्णय।

विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधान का अवलोकन करते हुए प्रबंध मंडल के निर्णय को सदन के पटल पर लिफाफे में बंद करते हुए निर्णय से राज्यपाल सचिवालय को अवगत करने का निर्णय किया गया।

सदन के निर्णय की एक प्रति को बंद लिफाफे में कार्यालय प्रति के <sup>रूप</sup> में कुलपति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक गोपनीय रखी गई।

84/10 कुलपति सचिवालय में विशेषाधिकारी (मानव) लगाए जाने सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ। जारी किए गए आदेश को नोट किया गया।

  
कुलसचिव  
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)